

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी

भवानी शंकर

प्रतिवादीगण

डालचन्द व अन्य

केस संख्या 220/24

बनाम

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>02.12.2024.</p> <p>11/12/24</p> <p>24/1/25</p> <p>14/25</p>	<p>वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री भवानी शंकर तिवाड़ी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/12/2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी</p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / कार्य न व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24/2/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / कार्य न व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 01/4/20 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। नसीब वडी उपखण्ड अधिकारीगण को भेजे रजिस्टर्ड नोटिस की तलवी पेश की गयी। नसीब मिस्टर इजलाह तालिम देहु पत्रावली दिनांक 16.4.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिल-जयपुर</p>	<p>1251</p> <p>3-12-24</p>

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

वि
वि

16 ⁴/₂₅

पत्रावली पेश डंडा नमील वादी उपस्थित
नहीं है, नही वादी स्वयं उपस्थित है
व्यापक संप्रतय एक एक कर
आवृत्त लावाली गयी परन्तु नानो
वादी स्वयं उपस्थित है नही वादी भी
उत्तर से कोई नमील आदि उपस्थित है
अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम
पेशी से खतिन किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से वस होकर जाइतकी प्र
वाकिल हस्त हो।

उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)